

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 246 दिनांक 19.03.2025 के माध्यम से श्री विकास कुमार (SKN00861), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को गिरफ्तार कर ले जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्त प्रतिवेदित सूचना के आलोक में निदेशालय पत्रांक-1428 दिनांक 25.03.2025 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल एवं पुलिस अधीक्षक को तामिला कराने हेतु पत्र की प्रति प्रेषित किया गया है। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है और न ही बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध करायी गई है।

श्री कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है। इनके कार्य से विभाग/सरकार की छवि धूमिल हुई है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 यथासंशोधित नियमावली 2022 के कंडिका-8(4) के आलोक में श्री विकास कुमार (SKN00861), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल का संविदा नियोजन गिरफ्तारी की तिथि यथा 19.03.2025 से समाप्त किया जाता है।

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(4) सं0आ0 (सुपौल)-12/2025...1816 पटना, दिनांक 22/04/2025
प्रतिलिपि : श्री विकास कुमार (SKN00861), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(4) सं0आ0 (सुपौल)-12/2025...1816 पटना, दिनांक 22/04/2025
प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(4) सं0आ0 (सुपौल)-12/2025...1816 पटना, दिनांक 22/04/2025
प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण